स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 197, दिनांकः 02—07—2024

उत्तर— प्रदेश एवं बिहार, झारखण्ड, में आतंक का पर्याय बने व पूर्वी उत्तर—प्रदेश व बिहार राज्य के माफिया गिरोहो से पैसा लेकर भाड़े पर हत्या करने वाला, कुख्यात व दुर्दान्त अपराधी एवं कई अभियोगों में वांछित रूपया 1,00,000/— (रू0 एक लाख) का पुरस्कार घोषित अपराधी सुमित कुमार सिंह उर्फ मोनू चवन्नी की एसटीएफ के साथ हुई साहसिक मुठभेड में मृत्यु ।

दिनांकः 02—07—2024 की प्रातः जनपद जौनपुर के थाना बदलापुरक्षेत्र में स्थानीय पुलिस एवं एस0टी0एफ0 की टीम द्वारा संयुक्त कार्यवाही के दौरान हुई एक साहसिक मुठभेड़ में उ0प्र0, बिहार एवं झारखण्ड में आतंक का पर्याय बने व पूर्वी उ0प्र0 व बिहार राज्य के माफिया गिरोहों से पैसा लेकर भाड़े पर हत्या करने वाला, कुख्यात व दुर्दान्त अपराधी एंव रू0 1,00,000/— (रू0 एक लाख रूपये) का पुरस्कार घोषित कुख्यात अपराधी सुमित कुमार सिंह उर्फ मोनू चवन्नी घायल हो गया, जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी।

<u>अभियुक्त का विवरणः—</u>

सुमित कुमार सिंह उर्फ मोनू चवन्नी पुत्र उदय प्रताप सिंह निवासी ग्राम नरईबाध इमिलिया, थाना सरायलखन्सी, जनपद मऊ।

<u>अभियुक्त से बरामदगीः</u>

1— 01 अदद रशियन आटोमैटिक एस0के0एस0 रायफल मय मैगजीन
2— 01 अदद स्टार पिस्टल 9 एमएम मय मैगजीन
3— 09 अदद कारतूस जिन्दा
4— 13 अदद खोखा कारतूस
5— एक अदद बोलेरो बिना नम्बर की

<u>घटनास्थल का दिनांक समय/ स्थानः—</u>

दिनांक 02—07—2024 समय लगभग 03.30 बजे, थाना बदलापुर थानाक्षेत्र के दुगौली खुर्द गांव के पास, जनपद जौनपुर।

स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश को विगत काफी दिनों से वांछित/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होने की सूचना प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में श्री धर्मेश कुमार शाही, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ, लखनऊ के पर्यवेक्षण मे एसटीएफ मुख्यालय एवं एसटीएफ फील्ड इकाई, गोरखपुर की टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान ज्ञात हुआ कि कुख्यात अपराधी सुमित कुमार सिंह उर्फ मोनू चवन्नी, जिसने कुछ दिन पूर्व थाना सिगरामऊ क्षेत्र में एक व्यापारी के ऊपर रंगदारी मांगने को लेकर जानलेवा हमला किया था तथा पूर्व में बिहार के चर्चित श्रीकान्त भारती, राजदेव रंजन व कई अन्य घटनाओं में संलिप्त शाहबुद्दीन का शूटर व रू0 1,00,000/— का पुरस्कार घोषित अपराधी जनपद जौनपुर के बदलापुर क्षेत्र में मौजूद है व किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाला है। इस सूचना पर श्री धर्मेश कुमार शाही, पुलिस उपाधीक्षक, निरीक्षक श्री सत्य प्रकाश सिंह, उपनिरीक्षक अतुल चतुर्वेदी, उपनिरीक्षक यशवन्त सिंह, मुख्य आरक्षीगण नीरज पाण्डेय, राम निवास शुक्ल, सुशील सिंह, अखिलेश श्रीवास्तव, विनय सिंह,

महेन्द्र सिंह, आशुतोष तिवारी व मो0 इमरान की टीम आपराधिक अभिसूचना संकलन हेतु जनपद जौनपुर में भ्रमणशील थी द्वारा तत्काल प्रतिक्रिया करते हुए थाना स्थानीय पुलिस को अवगत कराते हुए साथ लेकर मुखबिर की सूचना पर जनपद जौनपुर के बदलापुर मार्ग पर घेराबन्दी कर संन्दिग्ध वाहनों की चेकिंग प्रारम्भ की गयी। कुछ ही देर पश्चात एक वाहन काफी तीव्र गति से जौनपुर से बदलापुर की तरफ आती दिखायी दिया, जिसे देखकर मुखबिर ने बताया कि यही मोनू चावन्नी व उसके गैंग की बोलेरो गाड़ी है, और मुखबिर चला गया। बोलेरो गाड़ी वाले ने एसटीएफ व पुलिस वालों को खड़ा देख पहले अचानक ब्रेक मार कर गति को धीरे किया फिर तत्काल एसटीएफ व पुलिस कर्मियों को जान से मारने कि नियत से वाहन से ठोकर मारने का प्रयास करते हुए बढ़े। गाड़ी के अन्दर से ही बदमाशों ने स्वचलित हथियार से एसटीएफ व पुलिस पार्टी पर फायर किया, जिससे एसटीएफ व पुलिस वाले बाल–बाल बचते हुये खड़ी गाडियों का आड़ ले लिये कि इतने में फायर करते हुये वाहन को तीब्र गति से सर्विस लेन की तरफ भागने लगा, जिसे रोकने का प्रयास करते हुये पुलिस टीम द्वारा भी तेजी से अपनी अपनी टीम की गाडियों में बैठ कर पीछा किया गया कि बोलेरो चालक द्वारा आगे जाकर शाहगंज की ओर जाने वाले रास्ते (अन्डर पास से दाहिनी तरफ) मोड़ दिया गया। एसटीएफ व पुलिस टीम को पीछे आता देख बोलेरो में पीछे बैठे व्यक्ति ने अपना स्वचलित हथियार बोलेरो की खिड़की से निकाल कर एसटीएफ व पुलिस टीम को जान से मारने की नियत से दो–तीन फायर किये, जिससे एसटीएफ टीम के कर्मी बाल–बाल बचे। एसटीएफ व पुलिस टीम द्वारा भी संतुलित व नियन्त्रित फायरिंग अपने आत्मरक्षार्थ एवं साहसपूर्वक बदमाशों के फायरिंग रेन्ज में होते हुये भी फायरिंग करते रहे। गैंग द्वारा अपने आपको पकड़े जाने के डर से लगभग तीन किलो मीटर आगे जाकर दुगौली खुर्द मोड़ के पास बदमाशों द्वारा गाड़ी को बायी तरफ जाने वाले रास्ते पर मोड़ दिया और तेजी व अनियन्त्रित तरीके से भागने लगे। बदमाशों द्वारा कुछ दूर आगे जाकर गाड़ी को सड़क से कच्चे रास्ते पर दहिनी तरफ उतारी कि गाड़ी कच्चे रास्ते पर उतरते ही रूक गयी। इस पर एसटीएफ टीम व पुलिस टीम द्वारा भी तेजी से अपने अपने वाहनों से उतर कर सड़क के दोनों तरफ झाड– झंखाड़ का छुपाव लेकर गाड़ी की तरफ बढे। इस पर बदमाशों द्वारा बोलेरो गाड़ी को स्टार्ट कर पीछे करने का प्रयास किया गया एवं वाहन से उतर कर बदमाशों द्वारा स्वचलित हथियारों एवं पिस्टल से जान से मारने की नियत से एसटीएफ व पुलिस टीम पर लक्ष्य करके फायर किया गया। अपने आपको घिरता देखकर दो बदमाश फायर करते हुये बोलेरो की सीध में खेतों की तरफ भागने लगे कि सड़क पर खड़ा बदमाश अपना पोजिशन बदल–बदल कर झुक–कर मुड़ कर फायरिंग करने लगा। इस पर एसटीएफ टीम द्वारा संयमित व नियंत्रित फायरिंग की गयी। जब बदमाश की तरफ से फायर आना बन्द हुआ कि गिरफ्तारी के उद्देश्य से तेजी से बदमाश के पास पहॅुचे तो देखा गया कि बदमाश घायल अवस्था में गिरा हुआ है जिसे माननीय उच्च्तम न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के दिशानिर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुये तत्काल घायल को उपचार हेतु सीएचसी बदलापुर ले जाया गया, जहाँ उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी। बदमाश की पहचान थाना सराय लखनसी जनपद मऊ हिस्ट्रीशीटर संख्या 03बी सुमित सिंह उर्फ मोनू चवन्नी के रूप में हुई।

मृतक सुमित कुमार सिंह उर्फ मोनू चवन्नी पिछले करीब 15 वर्षो से उत्तर– प्रदेश एवं बिहार, झारखण्ड, में आतंक का पर्याय बना हुआ था। पूर्वी उत्तर–प्रदेश व बिहार राज्य के माफिया गिरोहों से पैसा लेकर भाड़े पर हत्या करने वाला, कुख्यात व दुर्दान्त अपराधी था, जिसके विरुद्ध जघन्य हत्या, लूट व हत्या के प्रयास रंगदारी वसूलने के लगभग दो दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत है तथा कुछ दिनों पूर्व जनपद जौनपुर के एक धनाड्य व्यक्ति से धन उगाही हेतु रंगदारी व गुण्डा टैक्स की मॉग की गयी थी व जानलेवा हमला किया गया था, जिसके सम्बन्ध में थाना सिंगरामऊ जनपद जौनपुर में मु0अ0सं0 27/2024 धारा 307/386 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा सुमित कुमार सिंह की गिरफ्तारी हेतु

पुलिस आयुक्त/अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन द्वारा रू0 1,00,000/– का पुरस्कार घोषित किया गया था।

<u>सुमित कुमार सिंह उर्फ मोनू चवन्नी उपरोक्त आपराधिक गतिविधियाँः–</u>

1– वर्ष 2014 में थाना उभांव, जनपद बलिया क्षेत्र में बिंदेश्वरी मिश्र व परशुराम मिश्र की अपने साथियों के साथ मिल कर हत्या कर दी गयी थी और हत्या करने के बाद उसका लाईसेन्सी रिवाल्वर लूट लिया था। जिसके सम्बन्ध में थाना उभावं, बिलया में मु0अ0सं0 431/2014 धारा–147, 148, 149, 302 भा0द0वि0 पंजीकृत हुआ था।

2– वर्ष–2014 में ही सीवान, बिहार के टाऊन थानाक्षेत्र में एक वैवाहिक कार्यक्रम से लौटते हुए स्थानीय भा0ज0प0 सांसद के प्रवक्ता तथा सर्राफा व्यवसायी श्रीकान्त भारती की हत्या अपने साथियों के साथ मिलकर कर दी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना टाऊन, सीवान, बिहार में मु0अ0सं0 497/2014 धारा–302/120बी/349 भा0द0वि0 पंजीकृत हुआ था।

3– वर्ष–2022 में एम0एल0सी0 के निर्दलीय प्रत्याशी रईस खान के ऊपर स्वचलित हथियारों से अन्धा–धुन्ध फायरिंग की गयी, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई व 5 लोग घायल हुए। इस सम्बन्ध में थाना हुसैनगंज, जनपद सीवान, बिहार मु0अ0सं0 92/2022 धारा–302/120बी/307 भा0द0वि0 व 27 आर्म्स एक्ट का पंजीकृत हुआ था।

मृतक बदमाश सुमित कुमार सिंह उर्फ मोनू चवन्नी की अन्य आपराधिक गतिविधियों के सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है।

मृतक अभियुक्त सुमित कुमार सिंह उर्फ मोनू चवन्नी, उपरोक्त के सम्बन्ध में अब तक की गई छानबीन से निम्नवत् <u>आपराधिक इतिहास प्राप्त हुआ है:–</u>

क्र0 स0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद–
1	2500/2009	307 भा0द0वि0	सराय लखन्सी	मऊ
2	1651/2009	392/411 भा0द0वि0	दोहरीघाट	मऊ
3	493/2009	60 एक्सा0 एक्ट, 272/273 भा0द0वि0	दोहरीघाट	मऊ
4	634/2009	634/2009 धारा–307 भा0द0वि0	जंगीपुर	गाजीपुर
5	635/2009	325/25 आर्म्स एक्ट	जंगीपुर	गाजीपुर
6	636/2009	1/21 एनडीपीएस एक्ट	जंगीपुर	गाजीपुर
7	1814/2009	302 भा0द0वि0	कोतवाली	मऊ
8	1963/2009	3) गैंगेस्टर एक्ट	दोहरीघाट	मऊ
9	1531/2009	356/411 भा0द0वि0	कोपागंज	मऊ
10	2212/2009	307 भा0द0वि0	सराय लखन्सी	मऊ
11	4/2009	41/411/414 भा0द0वि0	सराय लखन्सी	मऊ
12	2213/2009	3/25 आर्म्स एक्ट	सराय लखन्सी	मऊ
13	2515/2009	41/411 भा0द0वि0	सराय लखन्सी	मऊ
14	493/2009	60/63 व 272/273 भा0द0वि0	सिधारी	आजमगढ़
15	379/2013	7/25 आर्म्स एक्ट	बेलीपार	गोरखपुर
16	380/2013	467/468/471/419/420 भा0द0वि0	बेलीपार	गोरखपुर

17	शून्य / 2013	41 / 102 द0प्र0सं0 व 411 भादवि	बेलीपार	गोरखपुर
18	431 / 2014	147 / 148 / 149 / 302 भा0द0वि0	उभाव	बलिया
19	497 / 2014	302 / 120ची / 349 भा0द0वि0	सिवान	सिवान,बिहार
20	2015	387 / 120बी भा0द0वि0	हथुआ	गोपालगंज, बिहार
21	851 / 15	851 / 15 धारा–3 / 7 / 25 आर्म्स एक्ट	उभाव	जनपद–बलिया
22	852 / 15	307 भा0द0वि0	उभांव	बलिया
23	133 / 15	504 / 506 भा0द0वि0	मधुबन	मऊ
24	231 / 15	307 / 34 भा0द0वि0	महानगर	लखनऊ
25	232 / 15	25 / 27 आर्म्स एक्ट	महानगर	लखनऊ
26	92 / 22	302 / 120(बी) / 307 भा0द0वि0	हुसैनगंज	सिवान, बिहार

उपरोक्त मुठभेड़ के सम्बन्ध में थाना बदलापुर, जनपद जौनपुर में मु0अ0स0 264 / 2024 धारा 109 / 351(3) / 352 भा0न्याय संहिता एवं 7 / 25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत हुआ है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

––––––